न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

(9)

रा.प्र.क्र. विविध-6174/2018/सिवनी/भू.रा. प्रस्तुत दिनांक:-

1- शरद कुमार दुबे पिता स्व. श्री लेखराम दुबे, आयु- 55 वर्ष, जाति- ब्राम्हण, निवासी- ग्राम छपारा, तहसील छपारा, जिला-सिवनी (म.प्र.)

2- शांत कुमार दुबे दुबे पिता स्व. श्री लेखराम दुबे, आयु- 67 वर्ष, जाति- ब्राम्हण, निवासी- ग्राम छपारा, तहसील छपारा, जिला-सिवनी (म.प्र.)

3- प्रदीप दुबे दुबे पिता स्व. श्री लेखराम दुबे, आयु- 56 वर्ष, जाति- ब्राम्हण, निवासी- ग्राम छपारा, तहसील छपारा, जिला-सिवनी (म.प्र.)

4- संजय दुबे दुबे पिता स्व. श्री लेखराम दुबे, आयु- 55 वर्ष, जाति- ब्राम्हण, निवासी- ग्राम छपारा, तहसील छपारा, जिला-सिवनी (म.प्र.)

5- अहिल्या बाई दुबे पिता स्व. श्री लेखराम दुबे, आयु- 64 वर्ष, जाति- ब्राम्हण, निवासी- ग्राम छपारा, तहसील छपारा, जिला-सिवनी (म.प्र.)

6- कौशल्या बाई दुबे पिता स्व. श्री लेखराम दुबे, आयु- 58 वर्ष, जाति- ब्राम्हण, निवासी- ग्राम छपारा खुर्द, तहसील छपारा, जिला-सिवनी (म.प्र.)

7- रेखा बाई पति स्व. श्री रविशंकर दुबे, आयु- 57 वर्ष, जाति- ब्राम्हण, निवासी- ग्राम डुंगरिया छपारा, तहसील छपारा, जिला-सिवनी (म.प्र.)

8- मालती पिता स्व. श्री लेखराम दुबे, आयु- 55 वर्ष, जाति- ब्राम्हण, निवासी- ग्राम डुंगरिया छपारा, तहसील छपारा, जिला-सिवनी (म.प्र.)

.....आवेदकगण

25.10.18
30.10.18
25.10.18

विरुद्ध

म.प्र. राज्य

आवेदन अंतर्गत धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. 1908।

1- यह कि आवेदकगणों की कृषि भूमि ग्राम छपारा खुर्द, प.ह.नं. 41, रा.नि.मं. छपारा, तहसील छपारा, जिला सिवनी (म.प्र.) में स्थित हैं, जिसका विवरण निम्न वर्णित सारणी में है:-

सरल क्रमांक	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	रकबा (हेक्ट. में)
1	शांत कुमार दुबे पिता स्व. श्री लेखराम	104/1	0.35

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक विविध/सिवनी/भू0रा0/2018/6174

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्त
02/04/19	सदस्य राजस्व मंडल , म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक निगरानी/5699/2018/सिवनी/भू0रा0 में पारित आदेश दिनांक 24–9–18 पर से आवेदकगण व्दारा म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 151 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पेनल लायर के तर्क सुने गये। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि निगरानी में पारित आदेश के वाद भी केता श्रीमती रीना गुप्ता और राजेश गुप्ता को भविष्य में भूमियों के विकय हेतु पुनः अनुमति के लिये वाध्यता बनी रहेगी इसलिये संशय को समाप्त करने के लिये आदेश किया जाना चाहिये कि केतागण को उपर्युक्त भूमि/भूखंड के विकय की पुनः अनुमति न लेना पड़े। म0प्र0शासन के पैनल लायर को इस आपत्ति है। 3/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर तथा म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों पर विचार किया गया। स्थिति यह है कि प्रकरण कमांक निगरानी/5699/2018/सिवनी/भू0रा0 में पारित आदेश दिनांक 24–9–18 से जिन पक्षकारों को भूमि विकय की अनुमति प्रदान की गई है यह आदेश उनके स्वामित्व में रही भूमि के लिये है एंव भूमि विकय के वाद केता श्रीमती रीना गुप्ता और राजेश गुप्ता के भूमिस्वामी बन जाने से प्रकरण कमांक निगरानी/ 5699/ 2018/सिवनी/भू0रा0 में पारित आदेश दिनांक 24–9–18 भविष्य में किये जाने वाले विकय पर अप्रभावी होने से आदेश को भविष्य–लक्ष्यी प्रभाव नहीं दिया जा सकता, जिसके कारण म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार योग्य न होने से अमान्य किया जाता है। सदस्य	